



रेलवे सुरक्षा बल, द.पू.म.रेलवे

कार्यालय
महानिरीक्षक-सह-प्र.मु.सु.आ./रे.सु.ब.
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
बिलासपुर, 495004 (छत्तीसगढ़)

क्रमांक : रे.सु.ब./अभि./32-03/3335

दिनांक 04.07.2025

प्रति,

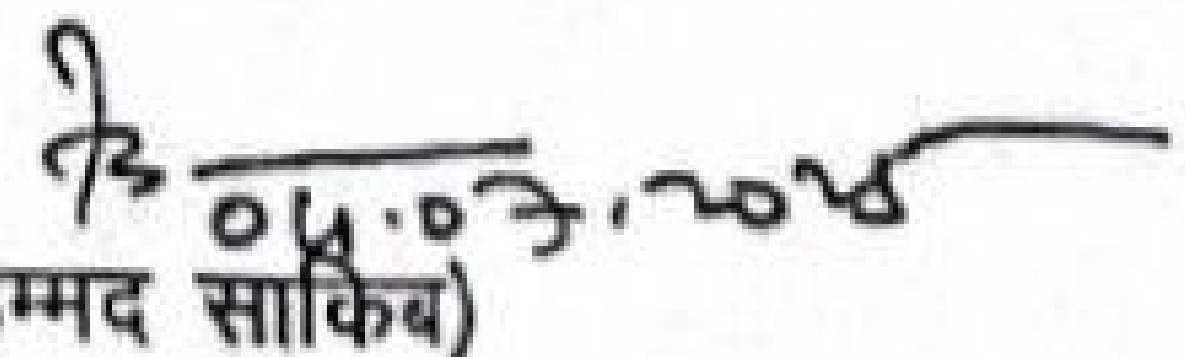
वरि.मंडल सुरक्षा आयुक्त/रे.सु.ब.
द.पू.म.रेलवे बिलासपुर,

विषय:- वर्ष 2025 में बिलासपुर मंडल द्वारा RP(UP) Act के मामलों के प्रदर्शन में आई कमियों के संबंध में।

उपरोक्त विषयांकित के संबंध में अवगत कराया जाता है कि, आपके मंडल के RP(UP) Act वर्ष-2023 जनवरी से जून तक 155 मामलों एवं वर्ष -2025 जनवरी से जून तक 125 मामले RP(UP) Act के दर्ज किए गए हैं। दोनों वर्षों के प्रदर्शनों का तुलनात्मक विश्लेषण करने पर, वर्ष -2025 के प्रदर्शनों में काफी कमी आयी है, जबकि पूर्व में इसके संबंध में पत्र क्रमांक-रे.सु.ब./अभि/32-03/3177 दिनांक-16.06.25 को प्रेषित किया गया था, जिसमें उक्त के संबंध में प्रदर्शनों में सुधार करने हेतु निर्देशित किया गया था, किन्तु साप्ताहिक रिपोर्ट दिनांक-16.06.25 से 22.06.25 में 08 मामले एवं दिनांक-23.06.25 से 29.06.25 तक में केवल 02 ही मामले बिलासपुर मंडल में दर्ज किये गये हैं।

अतः, आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि, उक्त के संबंध में अपने अधीनस्थों को आदेशित करें कि वे तत्काल अपने परफार्मेंस में सुधार लाएं। उक्त के संबंध में व्यक्तिगत रूप से प्रगति की समीक्षा करें तथा प्रत्येक सप्ताह सोमवार को प्रगति रिपोर्ट मुख्यालय को भेजना सुनिश्चित करें।

कृपया इसे अति आवश्यक समझा जाए।


(मुहम्मद साकिब)

उप महानिरीक्षक-सह-मुख्य सुरक्षा आयुक्त
कृते, महानिरीक्षक-सह-प्र.मु.सु.आ./रे.सु.ब.
द.पू.म.रेलवे, बिलासपुर